न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 50/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर अलवर

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0

––– अपीलांट वादी

बनाम्

1. शर्मिला पुत्री श्री रामदयाल पत्नि श्री तेजपाल जाति नाई निवासी ग्राम मेवली तहसील कोटकासिम हाल निवासी ग्राम जटियाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–––रेस्पो0 प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड़ अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 15.05.2008

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक– 16.07.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद सं0 189/2007 अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2008 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादीनी का उक्त वाद डिक्री किया गया है।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी के पिता रामदयाल को सन 1975 में आराजी खसरा नम्बर 356 रकबा 1–16 बीघा, 357 रकबा 3–03 बीघा, 687 रकबा 0.04 बीघा, 693 रकबा 0.02 बीघा, 961 रकबा 0.01 बीघा, 751 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 5–10 बीघा वाके ग्राम मेवली तह0 कोटकासिम अलोट हुई थी। खातेदारी का इन्तकाल 143 भी रामदयाल के हक में स्वीकार हो गया था। वादीनी के पिता रामदयाल ने आ0 ख0 नं0 751 को बेचान कर दिया था। शेष पर वह काबिज रहा। रामदयाल फौत हो चुका है। उनके देहांत के बाद वादीनी काबिज हो गई । कुछ समय भूमि पड़त रही। इस कारण गलत तौर पर सम्वत 2051 में भूमि को सिवायचक कर दिया गया था, जिसे वादीनी दुरूस्त कराने की अधिकारी है। अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलांट राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिये कि प्रश्नगत भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई थी। भूमि सदैव पड़त रही है। इसीलिये सिवायचक का इन्द्राज सही तौर पर किया गया है। आवंटी रामदयाल को भूमि आवंटित हुई थी। उसे गौर खातेदार दर्ज भी कर दिया गया। उसने आंवटन की शर्तें पूरी नहीं की। इसलिये अतिरिक्त जिला कलेक्टर के यहां नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रकरण पेश किया गया था। दिनांक 21.09.1979 को रामदयाल का आंवटन निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में भूमि सिवायचक दर्ज की गई थी। आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा। वह हरियाणा में रहता था और वहीं पर उसका देहान्त हुआ था। वादीनी का भी कभी कब्जा नहीं रहा। जब आंवटन निरस्त कर दिया गया था तो फिर वाद चलने योग्य नहीं है। सिवायचक भूमि पर खातेदारी की डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती। परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया और गलत तौर पर डिक्री पारित कर दी। उन्होंने मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि सरकार की ओर से अपील पेश करने हेतु अनुमति मांगने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नरम रूख अपनाकर देरी को माफ किया जावे। निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का तर्क है कि देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है। इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे। गुणावगुण पर तर्क देते हुए विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रश्नगत भूमि मेरे पिता रामदयाल को अलोट हुई थी। उसे खातेदारी भी मिल चुकी थी। उनके देहान्त के बाद उसकी जायज पुत्री वादीनी काबिज हो गई। कुछ समय भूमि पड़त होने के कारण सम्वत 2051 में गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दी गई। इस गलत इन्द्राज की आड़ में दीगर लोग अतिक्रमण करने पर उतारू हो गये। मैंने दुरूस्ती का दावा किया, जो सही तौर पर डिक्री किया गया है। अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निरतारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये। अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुए देरी को माफ किया जाता है।

6. इसके पश्चात गुणावगुण के बिन्दू पर गौर किया। जमाबन्दी सम्वत 2047 प्रदर्श–1 में प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 356, 357, 687, 693, 761 किता 5 कुल रकवा 5–08 बीघा पर वादीनी के पिता रामदयाल को खातेदार दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2038 प्रदर्श–3 में आराजी खसरा नम्बर 356, 357, 681 पर रामदयाल को खातेदार दर्ज किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 693, 751, 761 पर रामदयाल मजदूर का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2051 में प्रश्नगत भूमि पर सरकार पड़त सिवायचक का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2043 प्रदर्श–3 में विवादित भूमि पर रामदयाल को खातेदार दर्ज किया हुआ है।

7. पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भमि वादीनी के पिता रामदयाल की खातेदारी में थी। उक्त भूमि वादीनी ने अपने पिता रामदयाल को अलोट होना बताया है। अलोटमैंट होने के उपरान्त अलोटमैंट को निरस्त कराने हेतु नियम 14(4) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर के यहां राज्य सरकार द्वारा प्रा0 पत्र पेश किया गया था। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर ने निर्णय दिनांक 21.09.1979 द्वारा उक्त अलोटमैंट को निरस्त किया गया था। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहां अपील पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने निर्णय दिनांक 28.08.1992 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर का आदेश निरस्त किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवंटन बहाल हो गया। सम्वत 2051 से पूर्व के रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का रामदयाल खातेदार था, परन्तु सम्वत 2051 में उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है। तहत अदालत ने सम्पूर्ण राजस्व अभिलेखों की विस्तृत विवेचना करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2008 यथावत रखे जाते है।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)
भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 50/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर अलवर

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0

––– अपीलांट वादी

बनाम्

1. शर्मिला पुत्री श्री रामदयाल पत्नि श्री तेजपाल जाति नाई निवासी ग्राम मेवली तहसील कोटकासिम हाल निवासी ग्राम जटियाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–––रेस्पो0 प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड़ अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 15.05.2008

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

पर्चा डिक्री **दिनांक–** 16.07.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2008 यथावत रखे जाते है।

(अशोक कुमार सांखला)
भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर